

### अधिसूचना


अधिसूचना सं0 :- 10 /स्थ0-01-07 /2022- ५५६७

रांची, दिनांक- १५/१०/२२

संयुक्त सहायक अभियंता (असेनिक / यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-05 / 2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री प्रशांत रंजन (कोटि-UNR), पिता- श्री मिथिलेश कुमार झा, स्थायी पता- हड्डीबापुर, नयाटोला, कमला भवन के निकट, जिला-साहेबगंज, झारखण्ड-816109 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे0- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे0- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

- परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
- झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेंदा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
- अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
- विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
- योगदान समर्पित करते समय (i) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (iii) असेनिक शाल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैध हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक / फोजदारी / न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
- समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद की जायेगी।
- योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति / पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हो) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
- चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

### अधिसूचना


अधिसूचना सं0 :- 10 /स्थ0-01-07 /2022- ५५६७

रांची, दिनांक- १५/१०/२२

संयुक्त सहायक अभियंता (असेनिक / यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-05 / 2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री प्रशांत रंजन (कोटि-UNR), पिता- श्री मिथिलेश कुमार झा, स्थायी पता- हड्डीबापुर, नयाटोला, कमला भवन के निकट, जिला-साहेबगंज, झारखण्ड-816109 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे0- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे0- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

- परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
- झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेंदा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
- अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
- विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
- योगदान समर्पित करते समय (i) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (iii) असेनिक शाल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैध हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक / फोजदारी / न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
- समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद की जायेगी।
- योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति / पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हो) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
- चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव


### अधिसूचना

अधिसूचना सं0 :- 10 / स्थानो-01-07 / 2022- ५५१५

राची. दिनांक- १५/११/२२

सम्मुक्त सहायक अभियंता (असेनिक / यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-05 / 2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशासित श्री शुभम उपाध्याय (कोटि-UNR), पिता- श्री सुरेन्द्र उपाध्याय, स्थायी पता- मकान सं0-118, ग्राम-मेथोरी, पो-मनगाँव, जिला-रीवा, मध्यप्रदेश-486111 को सहायक अभियंता (असेनिक) के मूल कोटि के बेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे0- 5400/- सप्तम योगदान पुनरीक्षण बेतनमान पे0- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असेनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

- परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
- झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेवा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
- अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, आरखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
- विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
- योगदान समर्पित करते समय (i) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का व्योरा विहित प्रपत्र में (iii) असेनिक शाल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैध हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक / फौजदारी / न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
- समर्पित प्रमाण-पत्रों में जाँचेपरांत किसी प्रकार की विसर्गति पाये जाने पर नियुक्ति नियमनुसार रद्द की जायेगी।
- योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्माता विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हो) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
- चरित्र घटियेदन एवं पूर्व कुर सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमनुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से  


(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ପ୍ରକାଶକ

四百四十一

Mitsubishi - 10 / Mitsubishi-DI-OT / 2022 - 4523

۱۲۰۰ دیوانی — ۱۴ / ۱۰ / ۲۱



योगदान के समाप्त युवा विदेशी द्वारा विदेशी भाषा (International English) की भाषा भी/युवा भाषा से व्यापक अंतर है (यदि युवा विदेशी द्वारा विदेशी भाषा की अधिकांशता वाली भाषा होती है)। यहीं उन्होंने एवं वृत्त वृत्त वाली विदेशी भाषा का विवरण किया है।

प्राचीन वाक्य

(五)

卷之三

अधिसूचना

अधिसूचना सं0 :- 10 /स्था0-01-07 /2022- 4525

रांची, दिनांक- 14/11/2022

संयुक्त सहायक अभियंता (असेनिक /यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-05 /2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री नितेश कुमार (कोटि-BC-II), पिता- श्री रमेश प्रसाद गुप्ता, स्थायी पता- बाईपास चौक के निकट, मस्तिष्ठ रोड, जिला-लातेहार, झारखण्ड-829206 को सहायक अभियंता (असेनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे0- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे0- ऐट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असेनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

- परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
- झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
- अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
- विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
- योगदान समर्पित करते समय (i) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूच्यना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चाल-अचल सम्पत्ति का व्योरा विहित प्रपत्र में (iii) असेनिक शल्य यिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैध हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक /फौजदारी /न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
- समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद की जायेगी।
- योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति /पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
- चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से  


(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

### अधिसूचना

अधिसूचना सं0 :- 10 /स्था0-01-07 /2022- ५५२

रांची, दिनांक- ११/११/२८

संयुक्त सहायक अभियंता (असेनिक /यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-05 /2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री अभिषेक कुमार (कोटि-UNR), पिता- श्री रामचन्द्र शास्त्री, स्थायी पता- सरस्वती विद्या मंदिर, बापू नगर, कार्मिक मंदिर के सामने, पो-आईएस0ए0, जिला-घनबाद, झारखण्ड-826004 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे0- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे0- भैटिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

- परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
- झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेघा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
- अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
- विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
- योगदान समर्पित करते समय (i) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का व्योरा विहित प्रपत्र में (iii) असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वेद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
- समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
- योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हो) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
- चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

८११/११/२८

(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

### अधिसूचना

अधिसूचना सं0 :- 10 / रण0-01-07 / 2022- ५५९

शायी दिनांक- /५ /११/२२

संयुक्त सहायक अभियंता (असेनिक / यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-05 / 2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशासित श्री अभियेक सिंह (कोटि-UNR), पिता- श्री शैलेन्द्र सिंह, स्थायी पता- आदिल नगर, कुरसी रोड, सिङ्धांत पब्लिक स्कूल के निकट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226021 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे0- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे0- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
5. योगदान समर्पित करते समय (i) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का व्योरा विहित प्रपत्र में (iii) असेनिक शाल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विकल्प किसी भी प्रकार का आपराधिक / फौजदारी / न्यायिक भाषण लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति / पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हो) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कारवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

१८/११.१२.२२

(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

अधिसूचना

अधिसूचना सं 10 / रथ्यो-01-07 / 2022- 4561

संयुक्त सहायक अभियंता (असेनिक / यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन स0-05 / 2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशासित श्री विधान चन्द्र पाठक (कोटि-UNR), पिता- श्री मधुसुदन पाठक, राष्ट्रीयी पता- ग्राम-घोबनी, पो-अलकुसा, चास, जिला-बोकारो, झारखण्ड-827013 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे0- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे0- मैट्रिक्स के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

- परीक्षयमान अवधि नियुक्ति को तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्षयमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्षयमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
  - झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
  - अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
  - विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
  - योगदान समर्पित करते समय (i) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (ii) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (iii) असेनिक शाल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
  - योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैध हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक / फौजदारी / न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
  - समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
  - योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति / पूर्व सेव से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
  - चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

द्यारायण्ड राज्यपाल के आदेश से

(पशुपति नाथ मिश्र)  
सहकार के संयुक्त सचिव